बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–800014.

ई0 कमल किशोर प्रसाद

मुख्य अभियन्ता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727

फैक्स : 0612-2224529

मोबाईल : 9471006801

संचिका संख्या :–Reg- 1/2388 पटना, दिनांक :– ..../........./2024

कार्यालय आदेश–...318..../2024

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–05/SBD/2022–23, ग्रुप सं0–17 के माध्यम से "भागलपुर जिलान्तर्गत हबीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य" हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

1. निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका–35 के अनुसार निविदाकारों को " केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति का कार्य कराने का अनुभव का साक्ष्य संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक था।
2. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।
3. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक– 23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
4. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
5. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23, ग्रुप सं0–17 में चार निविदाकारों यथा 1. चंदन कुमार, 2. निर्माण इंजी कोन प्रा0 लि0 3. प्रीतम सागर इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं 4. महनार इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा भाग लिया गया।
6. **मे0 निर्माण इंजीकोन्स प्रा0 लि0** द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका 35 के शर्त के आलोक में Dy Chief Engineer/Con/II East Central Railway, Samastipur के पत्रांक W/Con/247/Dy.CE/Con/II/SPJ/CA-17 दिनांक–22.06.2018 द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था।
7. उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक SE,86 दिनांक– 03.04.2023 द्वारा उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/II,पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया। साथ ही दिनांक– 15.04.2023 के अपराह्न 03.36 बजे ई–मेल–dyccconiispj@gmail.com के माध्यम से भी सत्यापन के लिए अनुरोध किया गया।

8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण के उपर्युक्त पत्र के आलोक में श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/II,पूर्व मध्य रेलवे के पत्रांक सं0–डब्लू/कान/247/11/सम/कार्य/निर्माण इंजीकान्स दिनांक–19.04.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ई–मेल आईडी0–se12bpbcc@gmail.com पर दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 04:56 बजे सूचित किया गया कि " संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र इस इकाई द्वारा न तो निर्गत किया गया है और न ही उस पर किया गया अधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नमूना से मेल खाता है।"

9. उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि मे0 निर्माण इंजीकोन्स प्रा0 लि0 द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

10. निविदा के साथ जाली कागजात समर्पित करने के लिए NIT, SBD एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के सुसंगत प्रावधान/नियम निम्नवत है।

i. **NIT के कंडिका 41 (च) के अनुसार** निविदाकार को निम्न आशय का शपथ पत्र देना होता है। " **गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि–सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।** "

ii. **NIT के कंडिका 43** के अनुसार " **जॉच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाये जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।**"

iii. **SBD के कंडिका 33.1 के अनुसार " If the bidder has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in Question and will declare the firm in ineligible either in indefinitely for stated period of time."**

iv. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियामावली 2007 का नियम 11.(क).7 में " **गलत कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त करने के लिए संवेदक को काली सूची/निश्चित अवधि तक निलंबन/अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में पदावनत किये जाने का प्रावधान है।**"

11. जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए दोषी निविदाकार मे0 निर्माण इंजीकोन्स प्रा0 लि0 से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम के तहत इस कार्यालय के पत्रांक HQ 1703 दिनांक–03.06.2024 द्वारा जालसाजी एवं छल के आरोप में उनके निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई के पूर्व स्पष्टीकरण पूछकर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

12. मे0 निर्माण इंजीकोन्स प्रा0 लि0 द्वारा दिनांक–14.06.2024 को समर्पित स्पष्टीकरण में Bid Validity Period की समाप्ति के बाद Bid के अवैध होने एंव विचारणीय नहीं रह जाने के तर्क के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्रवाई को अप्रासंगगिक वताया जा रहा है। परंतु यह मामला निविदा के मूल्यांकन का नहीं वल्कि निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने एवं छल पूर्वक बिहार

पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिए उपर्युक्त कंडिका 10 में वर्णित NIT, SBD एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के सुसंगत प्रावधान/नियम के तहत कार्रवाई का है।

अतः आपराधिक षड़यंत्र के तहत निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मे0 निर्माण इंजीकोन्स प्रा0 लि0 **का निबंधन सं0 प्रथम 29/2021–22 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आगामी 2 (दो) वर्षो तक के लिये कालीकृत किया जाता है।**

16/8/24

मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–........./........./2024

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (मो0), अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 एवं 02/ मुख्य लेखा पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0 एवं गुण नियंत्रण/ मुख्य अभियंता के तकनीकी सचिव/ मुख्य अभियंता के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना एवं सभी कार्यपालक अभियंता, पटना/राजगीर/मगध प्रमण्डल कैम्प डिहरी ओन सोन/ भागलपुर/ दरभंगा/ पूर्णियॉ/ मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/24

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक– पटना, दिनांक– ..../........./2024

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/24

मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– HQ 3310 पटना, दिनांक– ...17.../ ....9.../2024

प्रतिलिपि– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/8/24

मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक– ..../........./2024

प्रतिलिपि– **सुबोध कुमार,** ग्राम–मधुरापुर प्रवारी टोला, पो0–मधुरापुर, जिला–बेगुसराय (बिहार) पिन कोड–851113, निदेशक, पेशा–व्यवसाय पिता–विपिन सिहं, पंकज कुमार, ग्राम–मधुरापुर बाघमारा टोला, पो0 मधुरापुर, जिला–बेगुसराय (बिहार) पिन कोड–851113, निदेशक, पेशा–व्यवसाय, पिता–विपिन सिंह को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/24

मुख्य अभियंता।